न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118/2016

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरबच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.10.2016

प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरबच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 23 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1/.228 नहरी भूमि हमारे पूर्वजों गुरबच्चनसिंह, जंगीरसिंह पिसरान नारायण सिंह द्वारा वसीयत से शमशान हेतु दी गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 502 दिनांक 23.11.2007 को होकर भूमि शमशान के नाम दर्ज हुई।

परन्तु चक 23 एम.एल. कि सम्वत् 2069 की जमाबन्दी में उक्त रकबा को राज रकबा लिख दिया गया जो कि गलत लिखा गया है। अतः उक्त रकबा राज भूमि को दुरूस्ती की जाकर शमशान दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 23 एम.एल. की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 1 में मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1/.228 हैक्टर नहरी भूमि (जुताई हेतु) दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 1–1 में मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 1/.228 हैक्टर नहरी भूमि राजकीय भूमि शमशान हेतु आरक्षित दर्ज है। जो कि जरिये इन्तकाल संख्या 302 हुकमन द्वारा दर्ज थी। परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2069 के लेखन के समय सहवन से शमशान आरक्षित का अंकन छूट गया, जो कि दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 23 एम.एल. की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 1 में मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1/.228 हैक्टर नहरी भूमि (जुताई हेतु) दर्ज है, के स्थान पर चक 23 एम.एल. की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 1 में मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1/.228 हैक्टर गैर मुमकिन शमशान दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)